"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मई 2016 — वैशाख 28, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक 4873/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 06-05-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह 6 अगस्त, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक 4873/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 25 of 2016)

THE CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH) (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force with retrospective effect from 6th August, 2015.

Amendment of Section 2.

2. The Explanation to the first proviso of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007) shall stand omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.